

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के विरुद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, तदधीन श्रीगणानगर के एक 23 एन.एन.पी. की खतीनी संख्या 38/35 के मुर्खा नम्बर 16 के किता नम्बर 1, 2, 9 ता 21 सालम किता नम्बर 22/1 में 0.126 हेक्टर कुल 2.403 हेक्टर मुर्खा नम्बर 17 के किता नम्बर 15, 16, 25 में 0.759 हेक्टर कुल 3.162 हेक्टर रकबा नई प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम बहिस्ता बराबर दर्ज है। तदधीन श्रीगणानगर के एक 19 एम.एल. की खतीनी संख्या 4/3 के मुर्खा नम्बर 21 के किता नम्बर 17 सालम, 18/1 में 0.190 हेक्टर कुल 0.433 हेक्टर मुर्खा नम्बर 37

**निर्णय :-**

1. श्री मनीहर लाल सहारण अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वयं

**उपरिखत अधिभाषकगण :-**

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम खतीना तदधीन प्रतिवादीगण

1. सोनादेवी उर्फ सोनीदेवी बंवा अमरचन्द उर्फ अमकराम जाति कुम्हार निवासी लखवाला तदधीन व जिना अधिवक्ता
2. राम गणाल पुत्रान श्री सेवाराम जाति कुम्हार निवासी लखवाला तदधीन व जिना अधिवक्ता
3. सोनील कुमार पुत्रान श्रीगणानगर।
4. मनीज कुमार पुत्रान श्री रामदेवर जाति कुम्हार निवासी लखवाला तदधीन व जिना अधिवक्ता
5. राज कुमार श्रीगणानगर।
6. उमिला पुत्री सेवाराम पत्नी सन्दीप जाति कुम्हार निवासी रामसरा नारायण तदधीन व जिना इन्जिनार।
7. शर्कन्तला पुत्री सेवाराम पत्नी राजवीर जाति कुम्हार निवासी बंवा तदधीन अर्नपगढ निवा इन्जिनार।
8. ममता पुत्री रामदेवर पत्नी श्री दिनेश जाति कुम्हार निवासी बुर्जवाली तदधीन व जिना अधिवक्ता
9. सुनीला पुत्री रामदेवर जाति कुम्हार निवासी लखवाला तदधीन व जिना श्रीगणानगर।
10. कविता पुत्री रामदेवर जाति कुम्हार निवासी लखवाला तदधीन व जिना श्रीगणानगर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जायत तदधीनदार, श्रीगणानगर।

**बनाम :-**

- वादीगण
1. राम गणाल पुत्रान श्री सेवाराम जाति कुम्हार निवासी लखवाला तदधीन व जिना अधिवक्ता
  2. सुनील कुमार श्रीगणानगर।
  3. मनीज कुमार पुत्रान श्री रामदेवर जाति कुम्हार निवासी लखवाला तदधीन व जिना अधिवक्ता
  4. राज कुमार श्रीगणानगर।

अनवान :- राजस्व वाद संख्या :- 106/2017  
 पीठाधीन अधिकासी :- यशपाल आहुजा आर.एस.

**न्यायालय उपखण्ड अधिकासी एवम पदेन सहयक कलक्टर श्रीगणानगर**

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 केम गाम पचायत लखवाला

(संज्ञक वाद संख्या :- 106/2017 अनवान रामगणाल बनाम सोनी देवी)

106/17  
 श्रीगणाल आहुजा



के किता नम्बर 11 ता 25 में 3.605 हैक्टर मुरखा नम्बर 38 के किता नम्बर 9/2 में 0.127 हैक्टर किता नम्बर 10, 11, 12 सालम, 19/1 में 0.013 हैक्टर किता नम्बर 20 सालम कुल 1.152 हैक्टर कुल तीनों मुरखा में 5.200 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है।

तहसील श्रीगंगानगर के एक 19 एम.एल. की खतीनी संख्या 54/29 के मुरखा नम्बर 20 के किता नम्बर 6, 7, 12 ता 15, 19, 20 में 1.265 हैक्टर नहरी मुरखा नम्बर 21 के किता नम्बर 4 ता 7, 11 ता 14, 19 व 20 में 2.341 हैक्टर मुरखा नम्बर 22 के किता नम्बर 11 ता 25 में 3.720 हैक्टर नहरी मय गौर मुमकिन रास्ता मुरखा नम्बर 37 के किता नम्बर 1 ता 5, 10 कुल 1.518 हैक्टर कुल 8.844 हैक्टर नहरी मय खाला मय गौर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज है।

तहसील श्रीगंगानगर के एक 19 एम.एल. की खतीनी संख्या 55/56 के मुरखा नम्बर 37 के किता नम्बर 6 ता 9 सालम 25 में 0.190 हैक्टर कुल 1.202 हैक्टर मुरखा नम्बर 30 के किता नम्बर 1, 2 सालम, 9/1 में 0.126 हैक्टर कुल 0.632 हैक्टर दोनों मुरखा में 1.834 हैक्टर नहरी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है।

उपर्युक्त समस्त रकबा दोनो बकों व कई खालों में पड़ता है जो पुराना श्री पन्नाराम के नाम से व कुछ रकबा कालान्तर में वादीगण के दादा श्री अमरचन्द के नाम से खरीद किया गया है जो जदी जायदाद की आमदनी से खरीद होने के कारण जदी जायदाद है। वह रकबा प्रतिवादीगण को विरस्तान प्राप्त हुआ है। जदी जायदाद होने के कारण वादीगण का इसमें जन्म से एक व हिस्सा बनता है। जिसे वह पाने का अधिकारी है।

उपर्युक्त खाला की समस्त भूमि सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू अधिभोजित परिवार की संयुक्त अधिभोजित सम्पत्ति है क्योंकि रकबा प्रतिवादीगण के नाम है इसलिए रकबा वादीगण के नाम नही होने से लगान व आबियाना देने में पानी की भरई खिचई में कई प्रकार की कानूनी दिक्कत आती है तथा बैंक ऋण सुविधा सरकारी अनुदान का पूरा फायदा नही मिल पाता है इस कारण एक व हिस्सा अनुसार कच्चा काष्ठ अनुसार खाला विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवाना आवश्यक व जरूरी हो जाता है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की सहूलियत अच्छी आबापासी एक व हिस्सा अनुसार परिवार के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी प्रेमभाव कायम रखते हुए कृपे कृपे अनुसार पर विचार कर लिया था इस धरते बटवारा अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने एक व हिस्सा पर काबिज है तथा इस एक बटवारा अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने एक व हिस्सा का काबिज है तथा अपने रकबा का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है।

1. वादी संख्या 1 रामगोपाल का हिस्सा :- एक 19 एम.एल के किता नम्बर 21 ता 25 में 1.265 हैक्टर मुरखा नम्बर 38 के किता नम्बर 1, 2, 9, 10, 11 सालम 12 में 0.065 हैक्टर कुल 2.595 हैक्टर अर्थात 10.05 बीघा।
2. वादी संख्या 2 सुनील का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुरखा नम्बर 37 के किता नम्बर 6 ता 9 सालम, 10 में 0.078 हैक्टर एक 23 एल.एन.पी. के मुरखा नम्बर 16 के किता नम्बर 1, 2, 9, ता 12, 19 में 1.771 हैक्टर मुरखा नम्बर 17 के किता नम्बर 15 में 0.127 हैक्टर कुल 12.16 बीघा अर्थात 3.241 हैक्टर।
3. वादी संख्या 3 मनोज कुमार का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुरखा नम्बर 20 के किता नम्बर 6 में 0.127, 7 में 0.126 हैक्टर किता नम्बर 12 ता 15 में 1.012 हैक्टर मुरखा नम्बर 22 के किता नम्बर 11 ता 15 में 1.265 हैक्टर कुल 2.530 हैक्टर।

राजस्व अधिकार

4. वादी सख्या 4 राजकुमार का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुरबा नम्बर 21 के किला नम्बर 7 में 0.253 किला नम्बर 11 में 0.125, 12 में 0.125, 13 में 0.125 किला नम्बर 14 में 0.190 हैक्टर मुरबा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5 सालम किला नम्बर 10 में 0.177 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.260 हैक्टर।

5. प्रतिवादी सख्या 1 सोनादेवी का हिस्सा :- एक 19 एल.एल. मुरबा नम्बर 21 के किला नम्बर 17 में 253, 18 में 190, मुरबा नम्बर 38 के किला नम्बर 11 में 190, 19 में 0.013 किला नम्बर 20 में 253, इस प्रकार कुल 0.889 हैक्टर।

6. प्रतिवादी सख्या 2 सवाराम का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुरबा नम्बर 37 के किला नम्बर 11 ता 20 में 2.530 हैक्टर।

7. प्रतिवादी सख्या 3 रामेश्वर का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुरबा नम्बर 22 के किला नम्बर 16 ता 25 में 2.530 हैक्टर।

8. प्रतिवादी सख्या 4 लिठमा का हिस्सा :- एक 23 एल.एन.पी. के मुरबा नम्बर 16 के किला नम्बर 20, 21 सालम, 22 में 0.127 मुरबा नम्बर 17 के किला नम्बर 15 में 0.126, किला नम्बर 16, 25 सालम कुल 0.632 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.265 हैक्टर।

9. प्रतिवादी सख्या 5 विमला का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुरबा नम्बर 21 के किला नम्बर 4 ता 6 में 0.759 हैक्टर, किला नम्बर 11, 12, 13 प्रत्येक में 0.125 हैक्टर किला नम्बर 19 में 0.125 हैक्टर, 20 में 0.253 हैक्टर कुल 1.520 हैक्टर।

10. प्रतिवादी सख्या 6 ता 10 में जददी जायदाद में अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया है इसलिये उनको कोई हिस्सा नहीं दिया गया है।

वादीगण में कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि एक बंटवारा अनुसार प्रत्येक पक्षकार के हिस्सा में रकबा आया है उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में उसका इन्दाज करवाने के लिये आप सक्षम अधिकारी के समक्ष सहमति के खान कर दो ताकि सभका खाला विमानन हो जाय। पहले तो आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 10 राज पूर्व स्पष्ट इन्कार हो गये है और कहने लगा कि हम तो एक बंटवारा को नहीं मानते है और ना ही गुम्हार पक्ष में सहमति के खान करते है। बस यही बिनाय दावा है जो कि वादीगण को प्रतिवादी के खिलाफ दिसा हुआ है।

प्रतिवादीगण को इस बात ईत्म होने पर कि रकबा आज भी उनके नाम राजस्व रिकार्ड में इन्दाज है उनके मन में बदनियती आ गई है और वह इस रकबा को रहन बैय करने की फिराक में है अगर वह इस मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी पूर्ति किसी तरह के इजाना से नहीं हो सकेगी। वादीगण अपने एक व हिस्सा से महकम हो जायेंगे। व आइन्दा मुकदमा बानी बरहेगी। इस कारण प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जाना आवश्यक व जरूरी है।

1. घोषित किया जावे के वादीगण व प्रतिवादीगण बाद पत्र की मद सख्या 10 में दर्ज रकबा के खातेदार काश्तकार है
2. इसी अनुसार खाला तक्षीम किया जाकर लगान व आबियाना कायम किया जावे।
3. खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।
4. प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करे रकबा को रहन बैय नहीं करे मौका एवम रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखी जावे।
5. अन्य कोई आजाा जो न्याय संगत व हम वादीगण के हित में हो प्रदान की जावे।

बाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरूरे सम्मन तलब किया गया।  
वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होने के कारण राजस्व लोक अदालत  
न्याय आपक द्वारा अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लखवाला में आयोजित शिविर में  
उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा पठने समझने  
के बाद इस्तेफार किया उभयपक्ष की पक्षानुसार ग्राम पंचायत लखवाला द्वारा किया जाने  
पर राजीनामा तस्दीक किया गया।  
वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि गांव के  
मौलिक विधान व्यक्तियों द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा कराया गया है, इस  
राजीनामा के अनुसार अपने अपने एक व हिस्सा पर कब्जा है। राजीनामा अनुसार रकबा  
निर्माण आया है :-

1. प्रथम पक्षकार संख्या 1 रामगोपाल का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुर्खा नंबर 37  
के किला नंबर 21 ता 25 में 1.265 हैक्टर मुर्खा नंबर 38 के किला नंबर 1, 2, 9,  
10, 11 सालम 12 में 0.065 हैक्टर कुल 2.595 हैक्टर अर्थात 10.05 बीघा।
2. प्रथम पक्षकार संख्या 2 सुनील का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुर्खा नंबर 37  
के किला नंबर 6 ता 9 सालम, 10 में 0.078 हैक्टर एक 23 एल.एन.पी. के मुर्खा  
नंबर 16 के किला नंबर 1, 2, 9, ता 12, 19 कुल 1.771 हैक्टर मुर्खा नंबर 17 के  
किला नंबर 15 में 0.127 हैक्टर कुल 1.898 हैक्टर इस प्रकार दोनो चको की कुल  
12.16 बीघा अर्थात 3.241 हैक्टर।
3. प्रथम पक्षकार संख्या 3 मनोज कुमार का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुर्खा नंबर  
20 के किला नंबर 6 में 0.127, 7 में 0.126 हैक्टर किला नंबर 12 ता 15 में 1.012  
हैक्टर मुर्खा नंबर 22 के किला नंबर 11 ता 15 में 1.265 हैक्टर कुल 2.530  
हैक्टर।
4. प्रथम पक्षकार संख्या 4 राजकुमार का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुर्खा नंबर  
21 के किला नंबर 7 में 0.253 किला नंबर 11 में 0.125, 12 में 0.125, 13 में 0.125  
किला नंबर 14 में 0.190 हैक्टर मुर्खा नंबर 37 के किला नंबर 1 ता 5 सालम  
किला नंबर 10 में 0.177 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.260 हैक्टर।
5. द्वितीय पक्षकार संख्या 1 सोनादेवी का हिस्सा :- एक 19 एल.एल. के मुर्खा नंबर 1  
के किला नंबर 17 में 2.53, 18 में 1.90, मुर्खा नंबर 38 के किला नंबर 11 में  
.190, 19 में 0.013 किला नंबर 20 में 2.53, इस प्रकार कुल 0.889 हैक्टर।
6. द्वितीय पक्षकार संख्या 2 संवाराज का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुर्खा नंबर 37  
के किला नंबर 11 ता 20 में 2.530 हैक्टर।
7. द्वितीय पक्षकार संख्या 3 रामेश्वर का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुर्खा नंबर 22  
के किला नंबर 16 ता 25 में 2.530 हैक्टर।
8. द्वितीय पक्षकार संख्या 4 लिखमा का हिस्सा :- एक 23 एल.एन.पी. के मुर्खा नंबर  
16 के किला नंबर 20, 21 सालम, 22 में 0.127 मुर्खा नंबर 17 के किला नंबर 15  
में 0.126, किला नंबर 16, 25 सालम कुल 0.632 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.265  
हैक्टर।
9. द्वितीय पक्षकार संख्या 5 विमला का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुर्खा नंबर 21  
के किला नंबर 4 ता 6 में 0.759 हैक्टर, किला नंबर 11, 12, 13 प्रत्येक में 0.125  
हैक्टर किला नंबर 19 में 0.125 हैक्टर, 20 में 0.253 हैक्टर कुल 1.520 हैक्टर।
10. द्वितीय पक्षकार संख्या 6 ता 10 नै जादेवी जायदाद में अपना हिस्सा लेने से मना कर  
दिया है इसलिये उनको कोई हिस्सा नहीं दिया गया है।

(राज्य) (संख्या)



1. प्रथम पक्षकार संख्या 1 रामगोपाल का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुख्या नंबर 37 के किला नंबर 21 ता 25 में 1.265 हैक्टर मुख्या नंबर 38 के किला नंबर 1, 2, 9, 10, 11 सालम 12 में 0.065 हैक्टर कुल 2.595 हैक्टर अर्थात 10.05 बीघा।
2. प्रथम पक्षकार संख्या 2 सुनील का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुख्या नंबर 37 के किला नंबर 6 ता 9 सालम, 10 में 0.078 हैक्टर एक 23 एल.एन.पी. के मुख्या नंबर 16 के किला नंबर 1, 2, 9, ता 12, 19 कुल 1.771 हैक्टर मुख्या नंबर 17 के किला नंबर 15 में 0.127 हैक्टर कुल 1.898 हैक्टर इस प्रकार दोनों चकों की कुल 12.16 बीघा अर्थात 3.241 हैक्टर।
3. प्रथम पक्षकार संख्या 3 मनोज कुमार का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुख्या नंबर 20 के किला नंबर 6 में 0.127, 7 में 0.126 हैक्टर किला नंबर 12 ता 15 में 1.012 हैक्टर मुख्या नंबर 22 के किला नंबर 11 ता 15 में 1.265 हैक्टर कुल 2.530 हैक्टर।
4. प्रथम पक्षकार संख्या 4 राजकुमार का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुख्या नंबर 21 के किला नंबर 7 में 0.253 किला नंबर 11 में 0.125, 12 में 0.125, 13 में 0.125 किला नंबर 14 में 0.190 हैक्टर मुख्या नंबर 37 के किला नंबर 1 ता 5 सालम किला नंबर 10 में 0.177 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.260 हैक्टर।
5. द्वितीय पक्षकार संख्या 1 सोनादेवी का हिस्सा :- एक 19 एल.एल. के मुख्या नंबर 1 के किला नंबर 17 में 2.53, 18 में 1.90, मुख्या नंबर 38 के किला नंबर 11 में 1.90, 19 में 0.013 किला नंबर 20 में 2.53, इस प्रकार कुल 0.889 हैक्टर।
6. द्वितीय पक्षकार संख्या 2 सेवाराज का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुख्या नंबर 37 के किला नंबर 11 ता 20 में 2.530 हैक्टर।
7. द्वितीय पक्षकार संख्या 3 रामेश्वर का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुख्या नंबर 22 के किला नंबर 16 ता 25 में 2.530 हैक्टर।

भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-  
 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के मध्य वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के तहत अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहुसंख्यक पर मनन किया। बाद अवलोकन बाद हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करने हेतु निवेदन किया।  
 बहुसंख्यक विद्वान अधिवक्ता ने वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तथा शपथ पत्र पर बहुसंख्यक गैर दोहराने तनकियात नहीं बनाई गई। वादी रामगोपाल पुत्र सेवाराज द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये।  
 वृत्तिक प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होने से निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।  
 पक्ष से कोई अनलोष नहीं बाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितों को ध्यान में रखते हुए अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य राज प्रेकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके मानकर अपने दस्तावेज किये हैं।  
 स्वच्छा सहमति तथा बिना किसी जबर दबाव के अपनी इच्छा से पद सन समाप्त व सही राजीनामा के अनुसार डिक्री पारित की जावे उक्त राजीनामा पक्षकारान ने अपनी

(संख्या) (संख्या) = 106/2017 अनुदान रामगोपाल बंनम सोना देवी)



श्रीगंगानगर  
 पंचायत समिति-श्रीगंगानगर  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 (राजस्व/आहेजा)

आम में सेनाया गया।  
 अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम ग्राम पंचायत लक्षित लोक अदालत  
 आदेश आज दिनांक 20.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत  
 दफ्तर दालिखत हो।

जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पञ्चवली निर्णय ब्यापार होकर बाव तकमील  
 खर्चा फायकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत किये  
 जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे।  
 ग्राम समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया  
 तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित  
 दिया है इसलिये उक्तको कोई हिस्सा नहीं दिया गया है।

10. द्वितीय पक्षकार संख्या 6 ता 10 में जददी जायदाद में अपना हिस्सा लेने से मना कर  
 हैक्टर किला नम्बर 19 में 0.125 हैक्टर, 20 में 0.253 हैक्टर कुल 1.520 हैक्टर।
9. द्वितीय पक्षकार संख्या 5 विमला का हिस्सा :- एक 19 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 21  
 के किला नम्बर 4 ता 6 में 0.759 हैक्टर, किला नम्बर 11, 12, 13 प्रत्येक में 0.125  
 हैक्टर।
8. द्वितीय पक्षकार संख्या 4 लिखमा का हिस्सा :- एक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर  
 16 के किला नम्बर 20, 21 सालम, 22 में 0.127 मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 15  
 में 0.126, किला नम्बर 16, 25 सालम कुल 0.632 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.265  
 हैक्टर।

(राजस्व बाव संख्या :- 106/2017 अनवान समीक्षण बचाम सीमा देवी)

उपखण्ड अधिकारी  
 श्रीगंगानगर